क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना–800001.

फोन नं0–0612–2522362, फैक्स नं0–0612–2533314, ई–मेल – rd-bihar@esic.in

सुविधा समागम की बैठक का कार्यवृत्त

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सुविधा समागम का आयोजन दिनांक **11.04.2018** को अपराह्न **3.00** बजे क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन स्थित सभा–कक्ष में संपन्न हुआ, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण/अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

क्र0	नाम एवं पदनाम	
1.	श्री अरविन्द कुमार, अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री कनक प्रकाश, माननीय सदस्य, क्षेत्रीय परिषद् एवं कर्मचारी प्रतिनिधि	सदस्य
3.	डॉ0 अरुण कुमार शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना	सदस्य
4.	डॉ0 (श्रीमती) तृप्ति चौधरी, उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार, पटना	सदस्य
5.	डॉ0 संतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (NFSG)	सह सदस्य
6.	डॉ0 मुकेश कुमार मोदी, चिकित्सा सतर्कता अधिकारी	सह सदस्य
7.	श्री जयंत कुमार, सहायक निदेशक (हितलाभ)	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यगण, आमंत्रितों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् इस बैठक में उपस्थित बीमित व्यक्तियों की शिकायतों पर एक–एक करके निम्नानुसार विचार/निर्णय किया गया :–

क्र. सं.	बीमित व्यक्ति का नाम, बीमांक व मोबाइल नंबर	संबंधित औषधालय /अस्पताल /कार्यालय	शिकायत /सुझाव	संबंधित कार्यालय /शाखा एवं निदान	अनुपालन संबंधित कार्यालय / शाखा
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ललिता देवी, बीमित पति–स्व0 लक्ष्मण महतो बीमा सं0 – 4200096842 मोबाइल नं0– 8130905579	समस्तीपुर	बीमित व्यक्ति स्व0 लक्ष्मण महतो की पत्नी श्रीमती ललिता देवी ने शिकायत किया कि उनके पति की मृत्यु कारखाने में कार्य के दौरान लगी चोट से हुई थी, परंतु हितलाभ अप्राप्त है। उन्होंने महानिदेशक महोदय को प्रेषित आश्रित हितलाभ संबंधी आवेदन की प्रति भी दिखाया। इससे प्रतीत होता है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु कारखाने में कार्य के दौरान लगी चोट से हुई थी और उन्हें अस्थायी अपंगता हितलाभ कुछ दिनों तक मिला। तत्पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी। शाखाधिकारी, हितलाभ ने बताया कि आवेदन की प्रति प्राप्त हुई थी, जिसे जांच तथा रिपोर्ट के लिए शाखा कार्यालय, समस्तीपुर को भेजा गया है।	सुविधा समागम में चर्चा के दौरान यह पाया गया कि यह मामला विचाराधीन है व प्रकिया के अनुसार जांच होने व रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर आगे की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।	शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, समस्तीपुर एवं हितलाभ शाखा
2	श्री मदन कुमार सिंह बीमा सं0 – 6015621068 मोबाइल नं0– 9852733868	पटना	शिकायतकर्ता श्री रायबहादुर सिंह, जो बीमित व्यक्ति श्री मदन कुमार सिंह के पिता हैं, का किडनी का इलाज चल रहा है, उन्होंने ई.एस. आई.सी. आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ से दवा न मिलने और दवाई की बिल का भुगतान छह महीने से नहीं मिलने की शिकायत की है।	सुविधा समागम में चर्चा के दौरान चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने उनके इलाज का कागजात देखकर उन्हें सलाह दिया कि नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा जो भी दवाइयां उनके इलाज हेतु लिखी जा रही हैं, उसे यह अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं तथा जो दवाइयां वहां उपलब्ध नहीं होंगी, उनके सामने NA लिखवाकर खरीदें और बिल जमा करें तभी प्रतिपूर्ति की जाएगी। बिल का भुगतान नहीं होने के संबंध में चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने कहा कि क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ में डिस्पेंसरी कैसे चल रहा है, व उससे संबंधित विस्तृत प्रकिया क्या होगी, इसपर मुख्यालय का दिशानिर्देश अप्राप्त है। इसपर सुविधा समागम में क्षेत्रीय निदेशक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि	शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, समस्तीपुर एवं हितलाभ शाखा

				फुलवारीशरीफ डिस्पेंसरी को क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल में मर्ज करने का निर्णय तीन स्तरों पर हुआ है। यथा – क्षेत्रीय परिषद्, राज्य कार्यकारिणी समिति एवं महानिदेशक महोदय तथा प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग व अन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि फुलवारीशरीफ डिस्पेंसरी के सभी कार्य ऐसी स्थिति में आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ द्वारा संपन्न होंगे। क्षेत्रीय निदेशक ने यह भी बताया कि वहां पर बिल संबंधी कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने संबंधी स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुख्यालय में पत्र लिखा है व स्मार–पत्र भी दिया है, जिसपर अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं है। अतः सुविधा समागम में यह निर्णय हुआ कि मुख्यालय को सुविधा समागम की प्रति देते हुए अनुरोध किया जाय कि इसपर स्थिति शीघ्र स्पष्ट कर दिया जाए ताकि बीमित लाभार्थियों को परेशानी न उठानी पडे.।	
3.	श्री निरंजन झा बीमा सं0 – 4215425373 मोबाइल नं0– 9709868868	फुलवारीशरीफ	बीमित व्यक्ति श्री निरंजन झा ने शिकायत किया कि उन्होंने दो बिल क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ में जमा किया था, जिसमें एक क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा गया, परंतु दूसरे बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है।	सुविधा समागम में चर्चा के दौरान चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने कहा कि इसकी जानकारी प्राप्त कर शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।	क.रा.बी. नि. आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ
4.	श्री प्रभाकर पाठक बीमा सं0 – 4215172116 मोबाइल नं0– 8540844206	श्रीकृष्णानगर	बीमित व्यक्ति श्री प्रभाकर पाठक ने कहा कि आई.जी.आई.एम.एस., पटना से संबंधित उनके इलाज का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल नियोजन भवन से क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 13/04/2017 को भेजा गया था जो नहीं मिल रहा है।	सुविधा समागम में चर्चा के उपरान्त स्थिति स्पष्ट किया गया कि अभी तक जमा किये गये कुछ बिल मौजूद हैं, जिनकी खोज कर उन्हें पुनः रिकार्ड में लिया जा रहा है। उम्मीद जतायी गयी कि उनके बिल भी मिलने की संभावना है। अतः निर्णय हुआ कि वे इस माह तक प्रतीक्षा करें, अन्यथा वे एफिडेविट के साथ बिल की प्रतिलिपि जमा करेंगे, जिसपर उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।	राज्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय
5.	श्री मनोज कुमार बीमा सं0 – 4215163876	दीघा	बीमित व्यक्ति श्री मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें कैंसर की दवा क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ से हाल तक मिल रही थी जो अब नहीं दी जा रही है।	सुविधा समागम में चर्चा के दौरान चिकित्सा अधीक्षक, क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ ने बताया कि बजट की कमी होने के कारण महंगी दवाइयों का क्रय करना	कर्मचारी राज्य बीमा मुख्यालय, चिकित्सा

	मोबाइल नं0– 9835284146		उन्होंने दूसरी शिकायत में बताया कि वे अपने दो बिल दीघा औषधालय में फरवरी, 2017 में जमा किए थे, जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।	संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यालय द्वारा महंगे बजट को स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि दवा उपलब्ध कराना डिस्पेंसरी का काम है, न कि क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल का। सुविधा समागम में परिचर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री कनक प्रकाश जी ने कहा कि निगम का मुख्य उद्देश्य ही बीमित व्यक्ति का इलाज और उन्हें दवा उपलब्ध कराना है और इसके लिए यदि बजट व संसाधन उपलब्ध नहीं होता है तो यह घोर चिन्ता की विषय है। सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद मुख्यालय को यह आह्वान करने का निर्णय हुआ कि बजट आदि की व्यवस्था में सुधार के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं एवं लाभार्थी को जो भी सुविधा चाहिए तथा जो भी दवाएं चाहिए वे सभी सुविधाएं/दवाएं आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ द्वारा कैसलेस मुहैया कराया जाए। इनके दिनांक 22/06/2017 एवं 29/06/2017 को ई. एस. आई. डिस्पेंसरी, दीघा में जमा किए गए बिल के बारे में यह निर्णय हुआ कि ई. एस. आई. डिस्पेंसरी से बिल की स्थिति प्राप्त कर बताया जाए और यदि बिल अभी भी लंबित हो तो उसकी जांच शीघ्र कर कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाए।	खंड निदेशक, चिकित्सा सेवाएं एवं दीघा औषधालय
6.	श्रीमती सोनी देवी बीमा सं0 – 4215558164 मोबाइल नं0– 9905584506	दीघा	बीमित महिला श्रीमती सोनी देवी के पति श्री राकेश कुमार ने सुविधा समागम में बताया कि पिछले वर्ष वे एक सड.क दुर्घटना में घायल हो गए थे और उनका इलाज जगदंबा नर्सिंग होम में किया गया। परंतु वे नियम की जानकारी के अभाव में यथासमय बिल जमा नहीं कर पाए। उनका डिस्पेंसरी दीघा है।	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद निर्णय हुआ कि चिकित्सा मैनुअल के अनुसार बिल जमा करने की सीमा एक वर्ष तक ही है और चूंकि इनका केस एक वर्ष से ऊपर अवधि का हो गया है। अतः वे महानिदेशक महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को अनुमति हेतु इस आशय का आवेदन भेजें कि बिल जमा करने की समय–सीमा में उन्हें छूट प्रदान किया जाए।	मुख्यालय, चिकित्सा खंड कर्मचारी राज्य बीमा मुख्यालय,
7.	श्री आशीष कुमार	श्रीकृष्णा नगर	बीमित व्यक्ति श्री आशीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने	सुविधा समागम में परिचर्चा व उनके कागजात को देखने के बाद यह स्पष्ट	निदेशक, चिकित्सा

	बीमा सं0 – 4215236530 मोबाइल नं0– 7766907672		अपना इलाज हार्ट हॉस्पिटल, पटना एवं स्कॉट हॉस्पिटल, दिल्ली में करवाया था, जिसका बिल अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि चिकित्सा परिषद् में उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।	हुआ कि मामला अभी तक चिकित्सा परिषद्, निदेशक, चिकित्सा सेवाएं के कार्यालय में लंबित है। अतः उन्हें सलाह दी गयी कि वे स्थिति का पूर्ण विवरण देते हुए यदि संभव हो, स्वयं भी उपस्थित होकर चिकित्सा परिषद् के समक्ष स्थिति स्पष्ट करें।	सेवाएं
8.	श्री धनंजय कुमार चौबे बीमा सं0 – 4215361485 मोबाइल नं0– 9852934102	श्रीकृष्णा नगर	बीमित व्यक्ति श्री धनंजय कुमार चौबे ने बताया कि उनके आश्रित पिताजी को किडनी की बीमारी है और इनका इलाज वे एम्स, नई दिल्ली में करवाना चाहते हैं।	सुविधा समागम में चर्चा के उपरान्त उन्हें सलाह दी गयी कि वे अपने पिताजी को क. रा. बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ में ले जाएं और वहां से परामर्श प्राप्त कर तद्नुसार इलाज कराएं। साथ ही, वे पिताजी की मासिक/वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र भी जमा करेंगे।	चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ
9.	श्री अखिलेश मिश्रा बीमा सं0 – 4215325722 मोबाइल नं0– 9801710982	फुलवारी शरीफ	बीमित व्यक्ति श्री अखिलेश मिश्रा के संबंधी श्री ओम प्रकाश ने बताया कि बीमित व्यक्ति के इलाज का बिल जून, 2017 में फुलवारीशरीफ में जमा किया गया था, जिसे 28/03/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा गया है, का भुगतान नहीं हुआ है।	सुविधा समागम में परिचर्चा के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल व डिस्पेंसरी में जमा किये गये बिल की जांच नहीं हो रही है, क्योंकि चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार मुख्यालय का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कुछ बिल जांच किये बिना ही क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे गए हैं, जिसके लिए मुख्यालय से सघन पत्राचार की आवश्यकता है। क्योंकि, मुख्यालय में बार–बार लिखने के बाद भी वहां से कोई निर्णय या दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। यह निर्णय हुआ कि क्षेत्रीय निदेशक व चिकित्सा अधीक्षक दोनों पदाधिकारी अपने–अपने स्तर से इसपर पत्राचार करेंगे और प्रेषित पत्रों की प्रतियां एक दूसरे के साथ आदान–प्रदान करेंगे।	क्षेत्रीय निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक
10	मो0 शकील अहमद बीमा सं0 – 4200809885 मोबाइल नं0– 9308067359	दीघा	मेसर्स बाटा इंडिया लि0, दीघा के यूनियन प्रतिनिधि एवं बीमित व्यक्ति मो0 शकील अहमद ने बताया कि दीघा डिस्पेंसरी में कुछ दवाइयां नहीं हैं। उनके आश्रित पिताजी को किडनी की बीमारी है और इनका इलाज वे एम्स, नई दिल्ली में करवाना चाहते हैं। दूसरी शिकायत के रूप में उन्होंने	सुविधा समागम में चर्चा के उपरान्त उन्हें बताया गया कि प्रत्येक डिस्पेंसरी को 75 प्रकार की दवाइयों की सूची भेजी गयी है। यह कहा गया था कि प्रत्येक डिस्पेंसरी आवश्यकतानुसार अगले छह माह के लिए जो भी जरूरत हो, सूची के अनुसार दवाई की मांग–पत्र भेजें। परंतु, किसी भी डिस्पेंसरी से अभी तक दवाई संबंधी मांग–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि उन्हें स्मार–पत्र दिया जाए।	चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ

			बताया कि फुलवारीशरीफ आदर्श अस्पताल में दवा लेने में परेशानियों का सामना करना पड.ता है। तीसरी शिकायत में उन्होंने श्री अशोक कुमार, बीमांक 4215327065 के बिल का भुगतान नहीं होना बताया। चौथी शिकायत में उन्होंने बताया कि रेफर कराकर दिल्ली में इलाज कराने के लिए आने–जाने की यात्रा व्यय प्राप्त नहीं हुई है।	चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने बताया कि एलोपैथिक दवा के लिए एक और दवा वितरण काउंटर खोला जा रहा है, जिससे इस समस्या में कमी आएगी। इसपर चिकित्सा निर्देशी महोदय ने बताया कि उनका बिल पास हो गया है, भुगतान भी शीघ्र ही किया जाएगा। सुविधा समागम में उन्हें बताया गया कि उक्त यात्रा विपत्र संबंधित डिस्पेंसरी में ही जमा किया जाना है। वहां से सत्यापन के बाद उन्हें निदेशक, चिकित्सा सेवाएं के कार्यालय में स्वीकृति हेतु भिजवायी जानी है। तत्पश्चात् स्वीकृत बिलों पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से भुगतान किया जा सकेगा।	

अंत में, अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों, अधिकारियों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

Jayant Kumar
(जयंत कुमार)
सहायक निदेशक (हितलाभ) सह
सदस्य सचिव, सुविधा समागम

प्रति :

1. श्रीमती ललिता देवी, बीमित पति स्व0 लक्ष्मण महतो, बीमांक–4200096842, ग्राम – मुक्तेपुर, पोस्ट – नवरंगा, जिला – समस्तीपुर, पिन – 848102.
2. श्री मदन कुमार सिंह, पिता – राय बहादुर सिंह, बीमांक – 6015621068, ग्राम – पंचग्रामा नवटोला, जिला–सहरसा, पिन–852421.
3. श्री निरंजन झा, बीमांक–4215425373, ग्राम + पोस्ट – बैकटपुर, मैथिल टोला, थाना – खुसरूपुर, जिला – पटना, पिन – 803202.
4. श्री प्रभाकर पाठक, बीमांक–4215172116, पिता – श्री भरत पाठक, मोहल्ला – चांदपुर बेला, दोपुलबा, आजाद लेन, पोस्ट – जी.पी.ओ., पटना–800001.
5. श्री मनोज कुमार, बीमांक–4215163876, श्री शंकर कोल्डस्टोरेज, अनन्या ट्रैक्टर्स, नासरीगंज, दीघा, पटना–800012.
6. श्रीमती सोनी देवी, बीमांक–4215558164, सदर बाजार, पदारथ लाल रोड, थाना के पास, दानापुर कैंट, पटना
7. श्री आशीष कुमार, बीमांक–4215236530, 248 महारानी रोड, न्यू गोदाम, गया
8. श्री धनंजय कुमार चौबे, बीमांक–4215361485, वार्ड नं0 – 3, हॉस्पिटल रोड, बिहिया.
9. श्री अखिलेश मिश्रा, बीमांक–4215325722, ग्राम + पोस्ट – सोनवर्षा, थाना– चारपोखरी, भोजपुर, बिहार.
10. मो0 शकील अहमद, बीमांक–4200809885, मेसर्स बाटा इंडिया लि0, दीघा, पटना – 800018.